छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5142 / 2009

याचिकाकर्तागण: 1. विकास अग्रवाल, आयु 33 वर्ष, पिता श्री पी.एस. अग्रवाल

2. श्रीमती मीरा अग्रवाल, आयु 60 वर्ष, पति श्री पी.एस. अग्रवाल

दोनों निवासी 36/4, पूर्वी भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, द्वारा:

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,

शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) ।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,

द्वारा:

(क) सचिव,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, विंग-II,

बहादुर शाह ज़फर मार्ग, आरटीओ के पास, नई दिल्ली।

(ख) सचिव,

पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, मानस भवन, श्यामला हिल्स:

भोपाल, मध्य प्रदेश।

3. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा: सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग,

डी.के.एस भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. भिलाई सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,

द्वारा: प्राचार्य, भिलाई सूचना प्रौद्योगिकी

महाविद्यालय: 39/4, नेहरू नगर (पूर्व): भिलाई, (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल)) क्रमांक 5142 / 2009</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u>: विकास अग्रवाल एवं अन्य।

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरवादीगण</u>: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अन्य।

दिनाँक 7-12-2009 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करे।

हस्ता/–
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता		याचिकाकर्तागण के लिए
श्री सुमेश बजाज, अधिवक्ता		राज्य के लिए
श्री भास्कर प्यासी, अधिवक्ता		उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए
श्री एन. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए. के. यादव के साथ, अधिवक्ता		उत्तरवादी क्रमांक 4 के लिए

आदेश

7 दिसंबर 2009 को पारित

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

01. अंतरिम आवेदन क्रमांक 02, याचिकाकर्तागण द्वारा दस्तावेज अभिलेख पर लेने के लिए आवेदन; अंतरिम आवेदन क्रमांक 03, उत्तरदाता क्रमांक 4 द्वारा प्रतिस्थापित जवाबदावा दाखिल करने की अनुमति के लिए आवेदन; अंतरिम आवेदन क्रमांक 04, याचिकाकर्तागण द्वारा दस्तावेज अभिलेख पर लेने के लिए आवेदन; और अंतरिम आवेदन क्रमांक 05, उत्तरदाता क्रमांक 4 द्वारा दस्तावेज अभिलेख पर लेने के लिए आवेदन पर सुनवाई हुई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

02. दूसरे पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया।

03. तदनुसार, उपरोक्त आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

04. पक्षकारों की सहमति से मामले की अंतिम सुनवाई हुई।

05. याचिकाकर्तागण ने वर्तमान याचिका दायर कर उत्तरदाता क्रमांक 1 को उत्तरदाता क्रमांक 4 को दी गई बी.एड. पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति वापस लेने और उक्त संस्थान/कॉलेज में प्रवेश न देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्तागण ने उत्तरदाता क्रमांक 1 को उन छात्रों को अन्य कॉलेज आवंटित करने/आवंटित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है, जिन्होंने उत्तरदाता क्रमांक 4/कॉलेज में प्रवेश का विकल्प चुना है।

06. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता क्रमांक 4/कॉलेज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संक्षेप में "एन.सी.टी.ई.") द्वारा दिनांक 9.8.2005 के आदेश

(अनुलग्नक पी/5) द्वारा प्रदत्त मान्यता के अंतर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने उक्त कॉलेज के कदाचार और अवैध आचरण के विरुद्ध प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न शिकायतें दर्ज कराईं। शिकायतों के आधार पर, जाँच की गई और दिनांक 13.6.2008 (अनुलग्नक पी/6) की प्रतिवेदन उत्तरदाता क्रमांक 1/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (संक्षेप में "एस.सी.ई.आर.टी.") के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त प्रतिवेदन के द्वारा, जांच समिति ने उत्तरदाता क्रमांक 4 के आश्वासनों पर विचार किया और अनुशंसा की, कि यदि उत्तरदाता क्रमांक 4/महाविद्यालय की प्रबंधन समिति एक हलफनामा दाखिल करती है कि वे एक वर्ष की अवधि के भीतर एन.सी.टी.ई. के मानदंडों के अनुसार संस्थान को अपने भवन में या 30 साल के पट्टे पर लिए गए किसी भवन में स्थानांतरित कर देंगे और विश्वविद्यालय के साथ अपनी संबद्धता को पुनर्जीवित करेंगे, उस स्थिति में, एक और वर्ष का अवसर प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। उत्तरदाता क्रमांक 1 ने अपने ज्ञापन दिनांक 25.6.2009 (अनुलग्नक पी/8) के माध्यम से एन.सी.टी.ई. को उक्त कॉलेज द्वारा मानदंडों के उल्लंघन के बारे में सूचित किया। हालांकि, पुनः अपने ज्ञापन दिनांक 20.7.2009 (अनुलग्नक पी/9) के द्वारा, उत्तरदाता क्रमांक 1 ने महाविधालय प्रबंधन को एक वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. के मानदंडों का पालन करने के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि महाविध्यालय को काउन्सलिग में भाग लेने की अनुमति दी जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता क्रमांक 2 ने याचिकाकर्तागण की शिकायत और उत्तरदाता क्रमांक 1 की 121 वीं बैठक में की अनुशंसा के आधार पर, एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 के विनियम, 2007 के खंड 8(7) के मानदंडों के उल्लंघन के लिए उत्तरदाता क्रमांक 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उत्तरदाता क्रमांक 4 ने एन.सी.टी.ई. की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति (संक्षेप में "डब्ल्यू.आर.सी.") को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। डब्ल्यू.आर.सी. ने उत्तरदाता क्रमांक 4 के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद अपनी 124 वीं बैठक में एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 की धारा 17(1) के तहत उत्तरदाता क्रमांक 4 के बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन के लिए मान्यता वापस लेने का निर्णय लिया (अनुलग्नक पी/1)। परिणामस्वरूप, मान्यता वापस लेने का आदेश 25/31 अगस्त, 2009 (अनुलग्नक पी/2) के आदेश के तहत जारी किया गया। हालाँकि, उत्तरदाता क्रमांक 1 ने उत्तरदाता क्रमांक 4/महाविधालय को काउन्सलिग में भाग लेने की अनुमति दी है, जबकि उत्तरदाता क्रमांक 4 की मान्यता एन.सी.टी.ई. द्वारा वापस ले ली गई है।

08. उत्तरदाता क्रमांक 4/ महाविधालय के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. यादव ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 उस मकान/भवन का मकान मालिक है जिसमें उत्तरदाता क्रमांक 4-संस्था स्थित है। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 ने उत्तरदाता क्रमांक 4 को उसके मकान से बेदखल करने के लिए अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दुर्ग के न्यायालय में एक दीवानी वाद भी दायर किया है। इसी विषय पर याचिकाकर्तागण और उत्तरदाता क्रमांक 4 के बीच अन्य दीवानी मुकदमे लंबित हैं। याचिकाकर्तागण के पास तत्काल याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता न तो छात्र हैं और न ही ऐसे छात्रों के अभिभावक हैं जिन्हें उत्तरदाता क्रमांक 4 महाविधालय में प्रवेश दिया गया है। एन.सी.टी.ई., डब्ल्यू.आर.सी. ने अनुलग्नक आर-4/11 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2005-06 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 100 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ उत्तरदाता क्रमांक 4/कॉलेज को मान्यता दी है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने अनुलग्नक आर-4/12 के तहत उत्तरदाता क्रमांक 4 को 2005-06 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु संबद्धता प्रदान की। याचिकाकर्तागण की शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिकायत की जांच के लिए एक समिति गठित की और उत्तरदाता क्रमांक 4 को अपने ज्ञापन दिनांक 6.6.2008 (अनुलग्नक आर-4/18) के माध्यम से सूचित किया कि शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए उसकी संबद्धता रद्द कर दी गई है। हालांकि, उपरोक्त निर्णय को आदेश दिनांक 28.7.2008 (अनुलग्नक आर-4/16) के तहत संशोधित किया गया और इस शर्त पर संबद्धता पुनर्जीवित की गई कि कॉलेज के पास एक वर्ष की अवधि के भीतर अपना भवन होगा। याचिकाकर्तागण के आदेश पर उत्तरदाता क्रमांक 1 के निदेशक ने अपने ज्ञापन दिनांक 25.6.2009 (अनुलग्नक आर-4/25) के तहत एन.सी.टी.ई., डब्ल्यू.आर.सी. को मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की। हालाँकि, उत्तरदाता क्रमांक 4 को उत्तरदाता क्रमांक 1 द्वारा काउन्सलिग में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और उत्तरदाता क्रमांक 4 ने 100 छात्रों को प्रवेश दिया था, जिन्हें अनुलग्नक आर-4/31 और आर-4/32 के अनुसार काउन्सलिग के तीसरे चरण में सौंपा गया था।

09. उत्तरदाता क्रमांक 2/एन.सी.टी.ई. के विद्वान अधिवक्ता श्री भास्कर प्यासी ने याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करते हुए दलील दी कि संस्था को डब्ल्यू.आर.सी. द्वारा एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 की धारा 14 और एन.सी.टी.ई. विनियम, 2002 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2005-06 से अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी किराए के आवास में बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता दी गई थी। एन.सी.टी.ई. विनियम, 2002 (अनुलग्नक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आर-2/1) के परिशिष्ट 7 का खंड 7(डी) अस्थायी मान्यता प्रदान करने की अनुमति देता है और मान्यता अस्थायी रूप से या अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए दी जा सकती है, जिसके समाप्त होने से पहले संस्था को अपने स्थायी भवन में स्थानांतरित होना चाहिए। उत्तरदाता क्रमांक 4 को शैक्षणिक सत्र 2008-09 के प्रारंभ होने से पहले अपने स्थायी स्थान को स्थानांतरित करने की शर्त का पालन करना आवश्यक था। निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर, जो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रतिनिधि और भोपाल में डब्ल्यू.आर.सी. के सदस्य हैं, ने अपने ज्ञापन दिनांक 25.6.2009 (अनुलग्नक पी/8) के माध्यम से डब्ल्यू.आर.सी. को सूचित किया कि संस्था ने शर्तों का पालन नहीं किया है और अभी भी अस्थायी किराए के परिसर में चल रही है और उस परिसर के मकान मालिक ने संस्था को किराए के परिसर से बेदखल करने के लिए कानून की अदालत में मुकदमा शुरू कर दिया है।

यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता क्रमांक 4 के बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता वापस लेने का मामला डब्लू.आर.सी. द्वारा 8 और 9 जुलाई, 2009 को आयोजित अपनी 121 वीं बैठक में विचार के लिए उठाया गया था, जिसमें राज्य प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था और संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था कि एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 की धारा 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने की उसकी मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए। संस्था को 24.7.2009 को एक और कारण बताओ सूचना भी दिया गया था। मान्यता वापस लेने के मामले को 20 और 21 अगस्त, 2009 को आयोजित अपनी 124 वीं बैठक में डब्ल्यू.आर.सी. द्वारा पुनः विचारार्थ लिया गया और उत्तरदाता क्रमांक 4 को प्रदान की गई बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता इस आधार पर वापस लेने का निर्णय लिया गया कि उत्तरदाता क्रमांक 4/महाविधालय अभी भी अस्थायी किराए के परिसर में बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है और अपनी भूमि पर स्थित अपने परिसर में स्थानांतरित नहीं हुआ है। इस निर्णय की इलेक्ट्रॉनिक सूचना सभी संबंधितों को भेज दी गई और वापसी के आदेश की मुद्रित प्रति 25 अगस्त, 2009 के आदेश के माध्यम से संस्थान और एस.सी.ई.आर.टी. को भेज दी गई, जो 31 अगस्त, 2009 को प्रेषित किया गया।

एस.सी.ई.आर.टी. को 8/9 जुलाई, 2009 से पता था कि डब्ल्यू.आर.सी. ने मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और वास्तव में डब्ल्यू.आर.सी. ने 20/21 अगस्त, 2009 को अपनी 124 वीं बैठक में मान्यता वापस ले ली थी। इन परिस्थितियों में, एस.सी.ई.आर.टी. को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के लिए बी.एड. काउन्सलिग में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, जो 3 सितंबर, 2009 से शुरू होनी थी। चूँकि मान्यता वापस लेने के आदेश की सूचना की तिथि 31 अगस्त, 2009 है, जब शैक्षणिक सत्र 2008-2009 समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2009-2010, 3 सितंबर, 2009 को निर्धारित काउन्सलिग के माध्यम से छात्रों के प्रवेश के पश्चात प्रारंभ होना था, इसलिए मान्यता वापस लेने का आदेश शैक्षणिक सत्र 2008-2009 के अंत से प्रभावी होगा। इसलिए, संस्थान शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने का हकदार नहीं है।

10. उत्तरदातागण क्रमांक 1 और 3 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. उत्तरदाता क्रमांक 4 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता क्रमांक 4 ने मान्यता वापसी के आदेश के विरुद्ध एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के समक्ष अपील ज्ञापन की प्रति, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली के सदस्य सचिव को संबोधित दिनांक 22.10.2009 के कवरिंग ज्ञापन के साथ, दस्तावेजों को अभिलेख में लेने के लिए एक आवेदन भी दाखिल किया है। उत्तरदाता क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ कोई हलफनामा या ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो दर्शाता हो कि उस पर विचार किया गया है या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्तागण ने अतिरिक्त दस्तावेज (अनुलग्नक पी/14) भी प्रस्तुत किए हैं, जो एस.सी.ई.आर.टी. के निदेशक द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 4/कॉलेज के प्रधानाचार्य को जारी किया गया दिनांक 9.9.2009 का ज्ञापन है, जिसमें बताया गया है कि महाविधालय को काउन्सलिग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 पहले ही प्रारंभ हो चुका है, तथा दिनांक 7.9.2009 के पूर्व ज्ञापन को रद्द कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. मैंने संबंधित पक्षकरो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

13. निर्विवाद रूप से, एनसीटीई के डब्ल्यूआरसी ने अपने आदेश दिनांक 9 अगस्त, 2005 (अनुलग्नक आर-4/11) द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 4/ महाविधालय को सशर्त मान्यता प्रदान की। चूँकि उत्तरदाता क्रमांक 4 एनसीटीई विनियम, 2002 की शर्त 7(डी) का पालन करने में विफल रहा, इसलिए एससीईआरटी ने एनसीटीई, डब्ल्यूआरसी, भोपाल को संबोधित अपने ज्ञापन

दिनांक 25.6.2009 के माध्यम से उत्तरदाता क्रमांक 4 को दी गई मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया और तदनुसार, उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 4 को कारण बताओ नोटिस जारी करने और 20/21 अगस्त, 2009 को आयोजित अपनी 124 वीं बैठक में उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद मान्यता रद्द कर दी गई और दिनांक 25/31 अगस्त, 2009 के आदेश द्वारा संस्थान और एससीईआरटी को इसकी सूचना दी गई। कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया गया और मान्यता वापस लेने का निर्णय इसकी 124 वीं बैठक में लिया गया और दिनांक 25/31 अगस्त, 2009 के आदेश द्वारा सभी संबंधितों को इसकी सूचना दी गई। उत्तरदाता क्रमांक 2/एन.सी.टी.ई. के विद्वान अधिवक्ता श्री भास्कर प्यासी के तर्क में मुझे बल प्रतीत होता है कि एनसीटीई, डब्ल्यूआरसी ने एनसीटीई अधिनियम, 1993 की धारा 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने दिनांक 25/31 अगस्त, 2009 के आदेश के तहत इस वापसी आदेश की अगली तिथि के अगले शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से मान्यता वापस ले ली है। हम उनके तर्क में बल पाते हैं कि अगले सत्र में प्रवेश के लिए काउन्सलिग 3 सितंबर, 2009 को ही प्रारंभ हुई थी और इसलिए, एनसीटीई द्वारा पारित वापसी आदेश की अगली तिथि के अगले शैक्षणिक सत्र की समाप्ति सत्र 2008-09 होगी। उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह माना जाता है कि एससीईआरटी द्वारा उत्तरदाता क्रमांक 4/ महाविधालय को सितंबर, 2009 में आयोजित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउन्सलिग कार्यवाही में भाग लेने और उक्त महाविधालय में प्रवेश के लिए छात्रों को आवंटित करने की अनुमति देना उचित नहीं था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. हालाँकि, चूंकि सत्र 2009-2010 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउन्सलिग पहले ही हो चुकी है और उत्तरदाता क्रमांक 4 को उस काउन्सलिग में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है और इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता क्रमांक 1 द्वारा अनुलग्नक आर-4/31 और अनुलग्नक 4/32 के अनुसार छात्रों को प्रवेश हेतु उत्तरदाता क्रमांक 4/महाविधालय को आवंटित कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्तागण द्वारा याचिका में खंड 10.2 और 10.3 में दावा की गई अनुतोष, जिसमें उत्तरदाता क्रमांक 1 को काउन्सलिग में भाग लेने की अनुमति वापस लेने और उत्तरदाता क्रमांक 4/ महाविधालय में प्रवेश की अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी, निष्फल हो गई है।

15. जहाँ तक खंड 10.4 में दावा किए गये अनुतोष, अर्थात् उत्तरदाता क्रमांक 1 को उन छात्रों को अन्य महाविधालय आवंटित करने/आवंटित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने का निर्देश देने का संबंध है, जिन्होंने काउन्सलिग में उत्तरदाता क्रमांक 4/ महाविधालय का विकल्प चुना है, इस मुद्दे पर इस याचिका में याचिकाकर्तागण के अनुरोध पर, पीड़ित पक्षों अर्थात् उन छात्रों की अनुपस्थिति में, जिन्होंने उत्तरदाता क्रमांक 4 के महाविधालय में प्रवेश का विकल्प चुना है, निर्णय नहीं किया जा सकता है।

16. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निराकृत की जाती है।

हस्ता/–
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)